Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 99: Scrutiny of Returns

- (1) Where any return furnished by a registered person is selected for scrutiny, the proper officer shall scrutinize the same in accordance with the provisions of section 61 with reference to the information available with him, and in case of any discrepancy, he shall issue a notice to the said person in FORM GST ASMT-10, informing him of such discrepancy and seeking his explanation thereto within such time, not exceeding thirty days from the date of service of the notice or such further period as may be permitted by him and also, where possible, quantifying the amount of tax, interest and any other amount payable in relation to such discrepancy.
- (2) The registered person may accept the discrepancy mentioned in the notice issued under sub-rule (1), and pay the tax, interest and any other amount arising from such discrepancy and inform the same or furnish an explanation for the discrepancy in FORM GST ASMT-11 to the proper officer.
- (3) Where the explanation furnished by the registered person or the information submitted under sub-rule (2) is found to be acceptable, the proper officer shall inform him accordingly in **FORM GST ASMT-12**.

www.cggst.com

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 99 : विवरणियों की संवीक्षा

- (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कोई विवरणी संवीक्षा के लिए चयन की जाती है वहां उचित अधिकारी धारा 61 के उपबंधों के अनुसार उसकी संवीक्षा उसे उपलब्ध जानकारी के संदर्भ अनुसार करेगा और किसी विसंगती की दशा में वह उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी एएसएमटी—10 में नोटिस जारी करेगा और उसका ऐसी विसंगती के बारे में जानकारी देगा तथा नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर उससे स्पष्टीकरण मांगेगा और कर, ब्याज की रकम और ऐसी विसंगती के संबंध में संदेय अन्य किसी रकम का मात्रांकन करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन जारी नोटिस में वर्णित विसंगति को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति स्वीकृत कर सकेगा और ऐसी विसंगति से उद्भूत कर, ब्याज या किसी अन्य रकम का संदाय करेगा और उचित अधिकारी को प्ररूप जीएसटी एएसएमटी—11 में विसंगति के लिए स्पष्टीकरण देगा या उसे सूचित करेगा।
- (3) जहां उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत जानकारी या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार्य पाया जाता है वहां उचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी एएसएमटी—12 में तद्नुसार उसे सूचित करेगा।

www.cggst.com